कार्यालय जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर

पत्रांक- 3969 ई-आफिस / JJM / 2025-26/ 460 दिनाँक- 18 / 10 /2025

जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा बैठक की कार्यवृत्ति-

दिनाँक-16/10/2025 को जिलाधिकारी महोदय के कार्य में व्यस्त होने के कारणमुख्य विकास अधिकारीद्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी के साथ जिला सभागार में जल जीवन मिशन के कार्योंकी समीक्षा बैठक की गयी। जिसमेंअधिशाषीअभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) के साथ AE/JE,DPMUसे DC, PM(M&E) व ISA कोर्डिनेटर,TPIA व दोनों फर्म वेलस्पन/VTLके प्रो0 मैनेजर के साथ सम्बन्धित ब्लाक हेड के द्वारा बैठक में प्रतिभाग किया गया।

समीक्षा बैठक में मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा उपस्थित अधिकारियों,कर्मचारियों एवं VTL व वेलस्पन के प्रो0 मैनेजर एवं ISA कोर्डिनेटर को निम्न निर्देश दिये गये -

1. यह कि अधिशासी अभियन्ता द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी को O&M की श्रेणी में लाने हेतु कुल 47 पेयजल परियोजनाओं का विवरण पत्र प्रेषित किया है जिसमें से जिला पंचायत राज अधिकारी द्वारा 43 पेयजल परियोजनाओं को O&M हेतु स्वीकृत किया गया है तथा 04 पेयजल परियोजनाओं में कमी के कारण अस्वीकृत किया गया है। जिला पंचायत राज अधिकारी को निर्देशित किया गया कि 04 पेयजल परियोजनाओं में कमी को ठीक करने हेतु अधिशासी अभियंता जल निगम को पत्राचार करें। ब्लाक भीटी के ब्लॉक हेड को निर्देशित किया कि lot-02 की जिन परियोजनाओं में कमी को पूर्ण कर लिया गया है उसे यथाशीघ्र हस्ताक्षर कराकर अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय में अग्रिम कार्यवाही हेतु जमा करें। तथा अधिशासी अभियंता जल निगम अगली आयोजित होने वाली बैठक में शेष 48 पेयजल परियोजनाओं को TPIA के पोर्टल पर सत्यापन हेतु Initiate करें।
2. यह कि समीक्षा बैठक में पाया गया कि विगत समीक्षा बैठक 9/10/2025 से अब तक मात्र 05OHT के निर्माण में प्रगति हुयी है जो संतोषजनक नहीं है। दोनों फॉर्म को निर्देशित किया जाता है कि मैनपॉवर लगाकर शिरोपरी जलाशय के निर्माण में अगली बैठक तक प्रगति लाना सुनिश्चित करें।
3. यह किIGRS पोर्टल पर 270 एवं JJM हेल्पलाइन पोर्टल पर 315 शिकायतें निस्तारण हेतु अवशेष हैं। निर्देशित किया गया किअधिशासी अभियन्ता उपरोक्त समस्त शिकायतों की सूची दोनों फर्म को उपलब्ध करायें तथा दोनों फॉर्म मैनपॉवर लगाकर समय सीमा के अन्तर्गत शिकायत का निस्तारण करना सुनिश्चित करें। उक्त के अतिरिक्त यह भी ध्यान रखें की कोई भी शिकायत डिफाल्टर की श्रेणी में न जायें।
4. यह कि समस्त सरकारी भवनों जिनकी संख्या 4807 है उसके सापेक्ष 3026 केन्द्रों पर गृहसंयोजन का कार्य फर्म द्वारा जो किया गया है वह संतोषजनक नहीं है। निर्देशित किया जाता है कि दोनों फर्ममैन पावर लगाकर गृहसंयोजन का कार्य पूर्ण करना सुनिश्चित करें।
5. यह कि अधिशासी अभियंता जल निगम ग्रामीण को निर्देशित किया गया की समस्त ISA की बैठक करके उनके आवंटित ग्रामों में जिन परिवारों को कम्पनी द्वारा गृहसंयोजन का कार्य नहीं किया गया है उसकी सूची तैयार कर DPMU के ISA कोर्डिनेटर को उपलब्ध करायें तथा ISA कोर्डिनेटर समस्त सूची को संकलित कर अधिशासी अभियंता के कार्यालय से पत्र के माध्यम से गृह संयोजन कार्य हेतु दोनों फर्म को उपलब्ध कारायें।

उपरोक्त निर्देश के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गयी।

Digitally signed by
ANUPAM SHUKLA
Date: 18-10-2025
11:53:24

(अनुपम शुक्ला)
जिलाधिकारी/अध्यक्ष
जिला पेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

प्रतिलिपि-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित-

1. अधिशासी निदेशक राज्य पेय जल एवं स्वच्छता मिशन लखनऊ।
2. मुख्य विकास अधिकारी अम्बेडकरनगर को सूचनार्थ।
3. डी0पी0आर0ओ0 अम्बेडकरनगर।
4. अधिशाषी अभियन्ता जल निगम (ग्रामीण) अम्बेडकरनगर।
5. AE/JE जल निगम ग्रामीण को इस आशय के साथ कि निर्देशित सभी विन्दुओं का अक्षरसः अनुपालार्थ।
6. ISA कोर्डिनेटर DPMU को आवश्यक कार्यवाही हेतु।
7. दोनों फर्म वेलस्पन एवं VTL कम्पनी अम्बेडकरनगर को अनुपालनार्थ हेतु प्रेषित।

जिलापेयजल एवं स्वच्छता मिशन
अम्बेडकरनगर

1-GV